भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1004

02.12.2024 को उत्तर के लिए

ईएसए संबंधी प्रारूप अधिसूचना

1004. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक ग्राम पंचायत प्राधिकारियों ने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के संबंध में अंतिम प्रारूप अधिसूचना तैयार करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए क्षेत्र स्तरीय आंकड़ों को शामिल नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या ग्राम पंचायत प्राधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ऊमन वी. ऊमन रिपोर्ट से केवल पुरानी अधिसूचना के साथ नवीनतम प्रारूप अधिसूचना जारी करके ऊपरी क्षेत्रों में किसानों और भूस्वामियों को चुनौती देने का प्रयास कर रही है;

(ग) क्या ग्राम पंचायत प्राधिकारियों ने यह दावा किया है कि राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की सहायता से कड़ी मेहनत से क्षेत्र स्तरीय अध्ययन करने के पश्चात् चार महीने पहले उनके द्वारा दर्ज की गई व्यापक रिपोर्ट से कोई आंकड़े नहीं लिए गए थे;

(घ) क्या प्राधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित किए गए दो मानचित्र भ्रामक तथ्यों से भरे हुए हैं और इससे लोग भ्रमित हो जाएंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, इस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 31.07.2024 के का.आ. 3060 (अ) तहत छह राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सहित, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में मसौदा अधिसूचना को पुनः प्रकाशित किया है।

केरल सरकार ने दिनांक 02.11.2024 को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें स्थानीय स्वशासन विभाग से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के आधार पर 12 जिलों के 29 तालुकाओं में फैले 98 गांवों में 8590.69 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है। इस मंत्रालय को दिनांक 31.07.2024 की उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में हितधारकों से मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों सहित हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए, मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देते समय, इस मंत्रालय ने गांवों को शामिल करने/इनकी शामिल न करने से संबंधित मुद्दों सहित छह राज्य सरकारों के सुझावों की समग्र रूप से जांच करने और आपदा प्रवण मौलिक पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, जरूरतों और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

******